

293

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म० प्र०)

अपील क्र. वि. A-3931-11/12

सन्

1. तुलसीदास नायक आयु 50 वर्ष
2. ग्यासी नायक आयु लगभग 45 वर्ष पुत्रगण स्व. स्वामीदीन नायक
3. मुस० किरणदेवी पत्नी स्व० अवधकिशोर नायक आयु 40 वर्ष
4. सत्येन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष नाबालिक पुत्र स्व० अवधकिशोर, जरिऐ संरक्षक मा किरणदेवी पत्नी स्व. अवधकिशोर
5. भुमानीबाई पत्नी स्व. स्वामीदीन नायक आयु 80 वर्ष सभी निवासी ग्राम मलका तहसील महाराजपुर जिला-छतरपुर (म० प्र०)

— निगरानीकर्तागण
आवेदकगण

बनाम

1. बन्दू ब्राम्हण आयु लगभग 75 वर्ष
2. लोकनाथ ब्राम्हण आयु लगभग 66 वर्ष पुत्रगण रामसंहाय ब्राम्हण
3. श्यामसुन्दर तनय रामसंहाय ब्राम्हण निवासी ग्राम मलका, तहसील महाराजपुर जिला-छतरपुर (म० प्र०) — उत्तरवादी/अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता

रिवीजन विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला-छतरपुर (म० प्र०)
के अपील प्र. क्रं. 60/अपील/11-12 आ०दि० 27.09.12 सपठित (27.09.12)

प्र.क्रं. 10/अ०/2011-12 आ.दि. 10.01.2012

आदेश : न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर, जिला-छतरपुर (म० प्र०)

महोदय,

उक्त निगरानीकर्ता सादर विनय करते हैं कि :-

निगरानीकर्ता ग्राम मलका वर्तमान तहसील महाराजपुर के निवासी है निगरानीकर्ता देहाती ग्रामीण अशिक्षित कृषक है तथा पूर्व से सम्पन्न घर के निवासी है निगरानीकर्ता के पिता/पति/ससुर स्व. स्वामीदीन सम्पन्न कृषक एवं नामी कृषक रहे हैं वह मौजा मलका पूर्व तहसील नौगांव के सम्पन्न एवं नामी कृषक रहे हैं वह मौजा मलका में आराजी

उत्तर नंबर 301 304 154 159 282 294 285 299 302, 172/1, 174/2, 175, 218,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3931-दो/2012

जिला छतरपुर

तुलसीदास विरूद्ध बन्दू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) 2.3.19 सदस्य</p>